उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-36/3232/26-1-2013-5(1)/2013

लखनऊ : दिनांक : 04 दिसम्बर, 2013

विज्ञप्ति/नियुक्ति

श्री राज्यपाल, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर वेतनमान पे बैण्ड-3, रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा(जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम एवं पत्राचार का पता	पदनाम-जिस पर नियुक्ति की जा रही है	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5
1	श्री आलोक कुमार पुत्र श्री प्रेमशंकर, पता-551/के/जी-728, लाल दुर्गा मन्दिर के सामने आजाद नगर, आलमबाग, लखनऊ-226005	जिला समाज कल्याण अधिकारी	लखनऊ	बॉदा
2	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ल, पुत्र श्री देवीप्रसाद शुक्ल, ग्राम उपाध्यायपुर, पोस्ट- सराय महेश पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़	जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रतापगढ़	चित्रकूट

2- उल्लेखनीय है कि चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

3- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कृपया नियमानुसार अपेक्षित चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र, शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र चरित्र संबंधी दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाण पत्र, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सगे संबंधी न हो आदि लेकर, प्रश्नगत विज्ञप्ति/नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर विलम्बतम् दिनांक 05-01-2014 तक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तिथि तक अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देता है, तो उसका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, जाने के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- उपरोक्त नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित निदेशालय स्तर पर तैनात योजना अधिकारियों/वित्त नियंत्रक के साथ कम से कम 02-02 दिन के लिए सम्बद्ध करके अधिकतम् 10 दिन विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं कोषागार से चेक पारित कराने संबंधी नियमों का विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के लिये कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। निदेशालय समाज कल्याण से उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं कोषाधिकारी के साथ 02-02 दिन अधिकतम् एक सप्ताह के

http://shasanadesh.up.nic.in

लिये सम्बद्ध करके भिन्न-भिन्न प्रकृति के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, ताकि नवचयनित अभ्यर्थी शासकीय कार्य प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के शासनादेशों व नियमों की भली-भॉति जानकारी प्राप्त कर सके।

5- प्रश्नगत नियुक्तियॉ मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-14299-14301/2007 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-23713/2009 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति धनन्जय सिंह तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

के0राम मोहन राव
सचिव।

<u>पृ0सं0-36/3232(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, वाणिज्यकर, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संहत रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
6- जिलाधिकारी, बॉदा/चित्रकूट।
7- कोषाधिकारी, बॉदा/चित्रकूट।
8- उपनिदेशक, समाज कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
9- संबंधित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पत्राचार के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
10- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-358/1/ई-2/2011-2012, दिनांक 11-12-2012 एवं पत्र संख्या-383/1/ई-2/2011-12, दिनांक 10-01-2013 के संदर्भ में।
11- कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/18/2012-का-4-2013, दिनांक 17-01-2013 के संदर्भ में।
12- संबंधित अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
13- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in